"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 सितम्बर 2010—भाद्र 26, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2010

क्रमांक ई-1-5/2006/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13-08-2010 द्वारा श्री भीम सिंह, भा.प्र.से. (2008 परिवीक्षाधीन) को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में द्वितीय दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर अनुविभागीय अधिकारी, सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के पद पर पदस्थ किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री भीम सिंह, भा.प्र.से. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी, प्रतापपुर, जिला-सरगुजा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में द्वितीय दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्य ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2010

क्रमांक ई-1-9/2010/एक/2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017/9/2005-एआईएस (I), दिनांक 5-9-2005 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) के अंतर्गत श्री संजय गर्ग, भा. प्र. से. (KL : 1994) की सेवायें छत्तीसगढ़ शासन को अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष के लिये सौंपी गई थी. श्री गर्ग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में दिनांक 12-9-2005 (पूर्वान्ह) को कार्यभार ग्रहण किया गया है.

2. अतएव श्री संजय गर्ग, भा.प्र.से., की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 11-09-2010 को समाप्त होने के फलस्वरूप उनकी सेवायें पैतृक संवर्ग (केरल शासन) को दिनांक 11-09-2010 (अपरान्ह से) वापस लौटाई जाती हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2010

क्रमांक/एफ 1/05/दो गृह/भापुसे/2005.— राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती नेहा चंपावत, भापुसे (2004), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अअवि., पुलिस मुख्यालय रायपुर को दिनांक 29-06-2010 से दिनांक 16-07-2010 तक कुल 18 दिवस के अर्जित अवकाश तथा दिनांक 17 एवं 18 जुलाई 2010 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्रीमती नेहा चंपावत, भापुसे (2004), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अअवि., पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्रीमती नेहा चंपावत, भापुसे (2004), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अअवि., पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ.ग. के पद पर पदस्थ होंगी.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नेहा चंपावत, भापुसे (2004), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अअवि., पुलिस मुख्यालय रायपुर छ.ग. अवकाश पर नहीं जाती तो कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्रमांक/एफ 1/03/दो गृह/भापुसे/2001.— इस विभाग के आदेश समसंख्यक दिनांक 12-08-2010 द्वारा श्री अनिल एम. नवानी, भापुसे, (1978) का दिनांक 30-08-2010 से दिनांक 01-10-2010 तक कुल 33 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 29 अगस्त एवं 2-3 अक्टूबर का विज्ञप्त अवकाश स्वीकृत किया गया था. राज्य शासन एतद्द्वारा आदेश समसंख्यक दिनांक 12-08-2010 निरस्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एल. लिखार, अवर सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2010

क्रमांक/3130-A/एफ 12/28/2009/14-2.— छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र. डी-15/13/90/14-3, भोपाल दिनांक 13-09-1991 द्वारा घोषित मण्डी प्रांगण चांपा, जिला जांजगीर-चांपा के मण्डी क्षेत्र के निम्नांकित स्थानों पर बने किसी संरचना, अहाता खुला स्थान या परिक्षेत्र को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से उपमण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :—

स्थान

ग्राम शिवरीनारायण (प.ह.नं.-19) तहसील नवागढ़, जिला-जांजगीर-चांपा में स्थित खसरा नं. 723/1, क (K)/1 की लगभग 2.00 एकड़ राजस्व भूमि का क्षेत्र :—

सीमाएं

(1)	उत्तर में	-	मवेशी बाजार
(2)	दक्षिण में	-	महानदी
(3)	पूर्व में	-	आम वृक्ष का बगीचा (नगर पंचायत शिवरीनारायण के स्वामित्व में)
(4)	पश्चिम में	-	विश्राम गृह (लोक निर्माण विभाग)

No./3130-A/F-12/28/2009/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby, declares that with effect from the date of its publication in the Official Gazette of this notification, the following places including any structure, enclosures open place or locality shall be sub-market yard in the market area of market yard, Champa District Janjgir-Champa declared vide departmental notification No./D-15/13/90/14-3, Bhopal dated 13-09-1991, namely :—

PLACE

An area of about 2.00 acres land of Revenue Khasara No. 723/1 K/1 at village Shivarinarayan (P.H.N.-19) in Nawagarh Tahsil of Janjgir Champa District surrounded by :—

BOUNDRIES

(1)	North side	-	Maveshi Bazar
(2)	South side	-	Mahanadi
(3)	East side	-	Mango Tree Garden (In owenership of Nagar Panchayat Shivarinarayan)
(4)	West side	-	Rest House (Public Works Department).

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्रमांक/3182/एफ 12/32/2009/14-2.— छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, समसंख्यक विभागीय अधिसूचना क्रं. 8797/8249/14-1, भोपाल दिनांक 18-04-1968 के द्वारा चांपा, जिला जांजगीर-चांपा के अंतर्गत घोषित मण्डी प्रांगण के मण्डी क्षेत्र में निम्नांकित

स्थानों में सम्मिलित किसी संरचना, अहाता खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप-मण्डी (फल सब्जी) प्रांगण घोषित करती है, जो इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा, अर्थात् :—

स्थान

ग्राम खरमोरा (प.ह.नं.-05) तहसील कोरबा, जिला कोरबा में स्थित खसरा नं. 296/1, रकबा 21.91 में से 20 एकड़ भूमि का क्षेत्र :—

सीमाएं

(1)	उत्तर में	-	सड़क-खरमोरा से नगटीखार
(2)	दक्षिण में	-	निजी भूमि
(3)	पूर्व में	-	शासकीय अतिक्रमित भूमि
(4)	पश्चिम में	-	शासकीय भूमि के द्वारा परिवेष्टित

No./3182/F-12/32/2009/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby, declares that with effect from the date of its publication in the Official Gazette of this notification, the following places including any structure, enclosures open place or locality shall be sub-market yard (Fruit-Vegetable) in the market area of market yard of Champa, District Janjgir-Champa declared by vide departmental notification No. 8797/8249/14-1, Bhopal date 18-04-1968, namely :—

PLACE

An area of about 20.00 acres out of 21.91 acres land situated in Khasara No. 296/1 at village Kharmora (P.H.No.-05) in Korba Tahsil of Korba District surrounded by :—

BOUNDRIES

(1)	North side	-	Road Kharmora to Nagtikhar
(2)	South side	-	Private Land
(3)	East side	-	Encroched Government Land
(4)	West side	-	Government Land

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 1-17/2010/14-1.— श्री अनिल कुमार साहू (भा.व.से.-1990) वन संरक्षक एवं निदेशक अचानकमार टाइगर रिजर्व की सेवायें वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए उन्हें, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर के पद पर एतद्द्वारा पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. वर्मा, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 20-40/25-2/2008.— राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का नवीन क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर संभाग जिला मुख्यालय में खोलने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. उक्त क्षेत्रीय कार्यालय के कर्तव्य, अधिकार एवं अधिकार क्षेत्र, पद संरचना, बजट प्रावधान तथा अन्य अनुषांगिक व्यवस्थाओं आदि के आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे.

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक सी-23564/बी-3/चार/2010 दिनांक 17-8-2010 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 1-15/दो/आठ-परि./2005.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 13 के उप नियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 25-06-2010 से 24-06-2011 की कालावधि के दौरान परिवहन उप निरीक्षक एवं परिवहन आरक्षक की सीधी भर्ती के मामले में महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत होगा."

No. F 1-15/Two/Eight-Trans./2005.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India. The Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following further amendment to the Chhattisgarh Transport Department Sub-ordinate Class-III (Executive) Service Recruitment Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

After sub rules (7) of Rule 13, the following para shall be inserted, namely :—

"Notwithstanding anything contained in the Chhattisgarh Civil Service (special Provisions for Appointment of women), Rules, 1997, the reservation for women candidates in case of direct recruitment of Transport Sub-Inspector and Transport Constable during the period of 25-06-2010 to 24-06-2011 shall be 10 percent."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ल, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 10-20/2010/16.— असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (क्र. 33 सन् 2008) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2010 कहलाएंगे.

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं :—**

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (क्र. 33 सन् 2008);

(ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ सामाजिक सुरक्षा बोर्ड;

(ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, बोर्ड का अध्यक्ष;

(घ) "सदस्य" से अभिप्रेत है, बोर्ड का सदस्य;

(ङ) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं क्रमश: वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं.

3. **सदस्यों की पदावधि :—**

(1) पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए पद धारण करेगा.

(2) धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (तीन) के अधीन नाम निर्देशित कोई सदस्य तब बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह विधान सभा, जिसके द्वारा वह इस प्रकार निर्वाचित किया गया था, का सदस्य नहीं रह जाता.

(3) धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (एक), (दो) एवं (चार) के अधीन नाम निर्देशित कोई सदस्य बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह उस प्रवर्ग का जिससे वह इस प्रकार नाम निर्देशित किया गया था, का प्रतिनिधित्व नहीं करता है.

परन्तु उपखंड (एक) के अधीन नाम निर्देशित सात व्यक्तियों में एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के प्रवर्ग से प्रतिनिधित्व करने के लिए होगा.

(4) कोई सदस्य पुन: नाम निर्देशन के लिए पात्र होगा.

4. **त्यागपत्र :—**

(1) बोर्ड का कोई सदस्य जो पदेन सदस्य नहीं है, अध्यक्ष को संबोधित करते हुए लिखित में पत्र द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा.

(2) ऐसे सदस्य का स्थान उस तारीख से जिसको उसका त्यागपत्र स्वीकार होता है या त्यागपत्र की सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के अवसान पर, जो भी पूर्वत्तर हो, रिक्त होगा.

(3) सदस्य के त्यागपत्र को स्वीकार करने की शक्ति अध्यक्ष में निहित होगी, जो त्यागपत्र स्वीकार करने पर, बोर्ड को उसके अगले अधिवेशन में रिपोर्ट करेगा.

5. **पते में परिवर्तन :**—यदि कोई सदस्य अपने पते में परिवर्तन करता है तो वह अपना नया पता बोर्ड के सदस्य-सचिव को अधिसूचित करेगा जो तदुपरांत उसका नया पता शासकीय अभिलेख में दर्ज करेगा :

परन्तु यदि सदस्य अपना नया पता अधिसूचित करने में असफल रहता है तो शासकीय अभिलेख में पता सभी प्रयोजनों के लिए सदस्य का सही पता समझा जाएगा.

6. **रिक्त स्थानों को भरने की रीति :**—जब बोर्ड की सदस्यता में कोई रिक्ति होती है या होने की संभावना है तो अध्यक्ष, राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नाम निर्देशित कर सकेगा और इस प्रकार नाम निर्देशित व्यक्ति उस सदस्य की शेष पदावधि तक जिसके स्थान पर वह नाम निर्देशित किया जाता है, पद धारण करेगा.

7. **सदस्यों के भत्ते :**—

(1) बोर्ड के किसी शासकीय सदस्य का यात्रा भत्ता शासकीय कर्तव्य पर उसके द्वारा निर्वहन की गई यात्रा के लिए उसको लागू नियमों द्वारा शासित किया जाएगा और उसके वेतन का संदाय करने वाले प्राधिकारी द्वारा संदत्त किया जाएगा.

(2) बोर्ड के गैर शासकीय सदस्यों को बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता ऐसी दरों पर संदत्त किया जाएगा जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय है और दैनिक भत्ते की गणना, उनके संबंधित स्थानों में राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय अधिकतम दर पर की जाएगी.

8. **कारबार का निराकरण :**— ऐसा प्रत्येक विषय जिस पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है, बोर्ड के किसी अधिवेशन में या यदि अध्यक्ष ऐसा निर्देश दे कि प्रत्येक सदस्य को राय जानने के लिए आवश्यक कागजात भेजकर विचार किया जाएगा और उस विषय को बहुमत के विनिश्चय के अनुसार निराकृत किया जाएगा :

परन्तु जहां किसी विषय पर बहुमत नहीं है और बोर्ड के सदस्य समान रूप से विभाजित हैं, अध्यक्ष का मत द्वितीय और निर्णायक होगा.

स्पष्टीकरण :— उपरोक्त परंतुक के प्रयोजन के लिए शब्द "अध्यक्ष" के अंतर्गत अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए नियम 9 के उपनियम (2) के अधीन नाम निर्देशित या चुना गया कोई व्यक्ति भी सम्मिलित होगा.

9. **अधिवेशन :**—

(1) बोर्ड का अधिवेशन ऐसे स्थानों और ऐसे समयों पर होगा जैसा कि अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए और यह अधिवेशन चार मास में कम से कम एक बार होगा.

(2) अध्यक्ष बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा जिसमें वह उपस्थित हो और उसकी अनुपस्थिति में बोर्ड के किसी सदस्य को अपने स्थान पर ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए नाम निर्देशित कर सकेगा और अध्यक्ष द्वारा ऐसे नाम निर्देशित किये जाने के अभाव में ऐसे अधिवेशन में उपस्थित बोर्ड के सदस्य, अपने बीच में से किसी सदस्य को अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए चुन सकेंगे.

10. **अधिवेशन की सूचना और कारबार की सूची :**—

(1) बोर्ड के सदस्यों को प्रस्तावित अधिवेशन की सामान्यतया दो सप्ताह की सूचना दी जाएगी :

परन्तु अध्यक्ष यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना समीचीन है तो ऐसे अधिवेशन के लिए एक मास से अनधिक की लंबी कालावधि की सूचना दे सकेगा.

(2) ऐसे कारबार को छोड़कर जो बोर्ड के अधिवेशन के लिए कारबार की सूची में सम्मिलित है अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना अधिवेशन में विचार नहीं किया जाएगा.

(3) अध्यक्ष, अत्यावश्यकता की दशा में, विचार-विमर्श की विषयवस्तु और अत्यावश्यकता के कारणों के बारे में सदस्यों को अग्रिम सूचना देने के पश्चात् किसी भी समय बोर्ड का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा.

11. **गणपूर्ति :—**

(1) बोर्ड के किसी अधिवेशन में तब तक कोई कारबार का संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि उस अधिवेशन में कम से कम छः सदस्य उपस्थित न हो जिसमें राज्य विधान सभा का कम से कम एक सदस्य सम्मिलित होगा :

परन्तु यदि किसी अधिवेशन में छः से कम सदस्य उपस्थित हैं तो अध्यक्ष, उपस्थित सदस्यों को सूचित करके और अन्य सदस्यों को सूचना देकर स्थगित अधिवेशन में कारबार का निपटारा करने के लिए किसी अन्य तारीख के लिए अधिवेशन को स्थगित कर सकेगा, चाहे गणपूर्ति हो या न हो और तदुपरांत उसके लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह स्थगित अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की संख्या को ध्यान में लाए बिना कारबार का निपटारा करे.

(2) राज्य सरकार पदेन सदस्यों से भिन्न, किसी सदस्य को बोर्ड के अधिवेशन में भाग लेने से विवर्जित कर सकेगी यदि—

(क) वह अध्यक्ष को लिखित सूचना दिए बिना और उसकी सहमति के बिना बोर्ड के तीन लगातार अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, या

(ख) राज्य सरकार की दृष्टि में ऐसा सदस्य उस हित का प्रतिनिधित्व नहीं करता है जिसके लिए वह बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने के लिए तात्पर्यित है.

12. **असंगठित कर्मकार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की रीति :—** अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्रारूप-1 में, जिला प्रशासन को किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

प्रारूप-1
(नियम 13 देखें)

असंगठित कर्मकार का नाम :— . . . .

पिता/पति का नाम :— . . . .

व्यवसाय :— . . . .

वर्तमान पता :— . . . .

. . . .

स्थायी पता :— . . . .

. . . .

आश्रित :— . . . .

(क) पिता : . . . .

(ख) माता : . . . .

(ग) आश्रित बच्चे : . . . .

(घ) अन्य : . . . .

Raipur, the 12th August 2010

No. F 10-20/2010/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Unorganised Workers' Social Security Act. 2008 (No. 33 of 2008), the State Government hereby, makes the following rules, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.—**

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Unorganised Workers' Social Security Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—**

(1) In these rules, unless the context otherwise requires.—

(a) "Act" means the Unorganised Workers' Social Security Act, 2008 (No. 33 of 2008);

(b) "Board" means the Chhattisgarh Social Security Board constituted under Section 6 of the Act;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Board;

(d) "Member" means a member of the Board;

(e) "Section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Term of office of Members.—**

(1) A member, other than an ex-officio member, shall hold office for a period not exceeding three years from the date of his nomination.

(2) A member nominated under sub-clause (iii) of clause (c) of sub-section (2) of Section 6 shall cease to be a member of the Board if he ceases to be a member of the Legislative Assembly by which he was so elected.

(3) A member nominated under sub-clause (i), (ii) and (iv) of clause (c) of sub-section (2) of Section 6 shall cease to be a member of the Board if he ceases to represent the category of interest from which he was so nominated :

Provided that out of seven persons nominated under sub-clause (i), one member each from the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, the Minorities and Women shall be represented.

(4) A member shall be eligible for re-nomination.

4. **Resignation.—**

(1) A member of the Board, not being an ex officio member, may resign his office by a letter in writing addressed to the Chairperson.

(2) The seat of such a member shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted or on the expiry of thirty days from the date of receipt of intimation of resignation, whichever is earlier.

(3) The power to accept the resignation of a member shall vest in the Chairperson who, on accepting the resignation, shall report to the Board at its next meeting.

5. **Change of Address.**— If a member changes his address, he shall notify his new address to the Member-Secretary of the Board who shall thereupon enter his new address in the official records :

Provided that if a member fails to notify his new address, the address in the official records shall for all purposes be deemed to be the member's correct address.

6. **Manner of filling Vacancies.**— When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Chairperson shall submit a report to the State Government and on receipt of such report, the State Government may, by notification, nominate a person to fill the vacancy and the person so nominated shall hold office for the remainder of the term of office of the member in whose place he is nominated.

7. **Allowances of Members.**—

(1) The travelling allowance of an official member of the Board shall be governed by the rules applicable to him for journey performed by him on official duties and shall be paid by the authority paying his salary.

(2) The non-official members of the Board shall be paid travelling allowance for attending the meetings of the Board at such rates as are admissible to a Class-I Officer of the State Government and daily allowances shall be calculated at the maximum rate admissible to Class-I Officers of the State Government in their respective places.

8. **Disposal of business.**— Every matter which the Board is required to take into consideration shall be considered at a meeting of the Board, or if the Chaiperson so directs, by sending the necessary papers to every member for opinion, and the matter shall be disposed of in accordance with the decision of the majority :

Provided that where there is no opinion of majority on a matter and the members of the Board are equally divided, the Chairperson shall have a second or a casting vote.

Explanation :— The expression "Chairperson" for the purpose of the above proviso shall include a member nominated or chosen under sub-rule (2) of rule 9 to preside over a meeting.

9. **Meetings.**—

(1) The Board shall meet at such places and at such times as may be decided by the Chairperson and it shall meet atleast once in four months.

(2) The Chairperson shall preside over every meeting of the Board in which he is present and in his absence he may nominate a member of the Board to preside over such a meeting in his place and in the absence of such nomination by the Chairperson, the members of the Board present in such meeting may choose from amongst themselves a member to preside over the meeting.

10. **Notice of meetings and list of business.**—

(1) Ordinarily, two weeks notice shall be given to the members of the Board of a proposed meeting :

Provided that the Chairperson, if he is satisfied that it is expedient so to do, may give notice of longer period not exceeding one month for such meeting.

(2) No business except which is included in the list of business for a meeting of the Board shall be considered at the meeting without the permission of the Chairperson.

(3) The Chairperson may at any time call a special meeting of the Board in case of urgency, after informing the members in advance about the subject-matter of discussion and the reasons of urgency.

11. **Quorum.**—

(1) No business shall be transacted at any meeting of the Board unless at least six members are present in that meeting which shall include at least one member of State Legislative Assembly :

Provided that if at a meeting, less than six members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to another date informing the members present and giving notice to the other memebrs

that he proposes to dispose of the business at the adjourned meeting whether there is prescribed quorum or not, and it shall thereupon be lawful for him to dispose of the business at the adjourned meeting irrespective of the number of members attending.

(2) The State Government may debar any member, other than ex-officio members, from taking part in the Meeting of the Board, if.—

(a) he absents himself from three consecutive meetings of the Board without written information to and consent of the Chairperson, or

(b) in the view of the State Government, such member has ceased to represent the interest which he purports to represent on the Board.

12. **Manner of making application for registration of unorganised worker.**—The application referred to in sub-section (2) of Section 10 of the Act shall be made in Form-I, to the District Administration.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. D. KUNJAM, Deputy Secretary.

FORM-I
(See rule 12)

Name of the unorganised worker : ....

Father's/Husband's name : ....

Occupation : ....

Present Address : ....
: ....
: ....

Permanent Address : ....
: ....
: ....

Dependents : ....

(a) Father : ....

(b) Mother : ....

(c) Dependent Children : ....

(d) Others : ....

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 10-24/2010/16.— भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2010/16 में हितग्राहियों के लिए उल्लेखित योजनाओं में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :—

(1) **सामूहिक विवाह योजना :—**

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी.

(ई) **भुगतान की प्रक्रिया :—**

(iv) हिताधिकारियों को दिए जाने वाले चेक निम्नांकित द्वारा हस्ताक्षरित किए जावेंगे :—

(क) ऐसे जिले जहां पर श्रम कार्यालय स्थित है, सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा चेक हस्ताक्षरित होगा. साथ ही रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ जिले में उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के भी हस्ताक्षर चेक में होंगे.

(ख) ऐसे जिले जहां पर श्रम कार्यालय स्थित हैं, किन्तु औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के कार्यालय नहीं हैं, उन जिलों में श्रम अधिकारियों के साथ-साथ कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ श्रम निरीक्षक हस्ताक्षर करेंगे.

(ग) ऐसे जिले जहां पर श्रम कार्यालय स्थित नहीं है, जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं जिले के लिए पदस्थ श्रम निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे.

(2) **प्रसूति सहायता योजना :—**

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी.

(ई) **भुगतान की प्रक्रिया :—**

(iv) हिताधिकारियों को दिए जाने वाले चेक निम्नांकित द्वारा हस्ताक्षरित किए जावेंगे :—

(क) ऐसे जिले जहां पर श्रम कार्यालय स्थित है, सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा चेक हस्ताक्षरित होगा. साथ ही रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ जिले में उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के भी हस्ताक्षर चेक में होंगे.

(ख) ऐसे जिले जहां पर श्रम कार्यालय स्थित हैं, किन्तु औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के कार्यालय नहीं हैं, उन जिलों में श्रम अधिकारियों के साथ-साथ कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ श्रम निरीक्षक हस्ताक्षर करेंगे.

(ग) ऐसे जिले जहां पर श्रम कार्यालय स्थित नहीं है, जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं जिले के लिए पदस्थ श्रम निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे.

(3) **छात्रवृत्ति योजना :—**

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी.

(ई) **भुगतान की प्रक्रिया :—**

(iv) हिताधिकारियों को दिए जाने वाले चेक निम्नांकित द्वारा हस्ताक्षरित किए जावेंगे :—

(क) ऐसे जिले जहां पर श्रम कार्यालय स्थित है, सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम

पदाधिकारी द्वारा चेक हस्ताक्षरित होगा. साथ ही रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ जिले में उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के भी हस्ताक्षर चेक में होंगे.

(ख) ऐसे जिले जहां पर श्रम कार्यालय स्थित हैं, किन्तु औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के कार्यालय नहीं हैं, उन जिलों में श्रम अधिकारियों के साथ-साथ कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ श्रम निरीक्षक हस्ताक्षर करेंगे.

(ग) ऐसे जिले जहां पर श्रम कार्यालय स्थित नहीं है, जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं जिले के लिए पदस्थ श्रम निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे.

उपरोक्त संशोधन छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होंगी.

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 10-25/2010/16.— छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 1 उपधारा 4 में प्रदत्त अधिकारों को उपयोग करते हुए निम्नांकित तालिका में उल्लेखित स्थानों पर अधिनियम की धारा 1 उपधारा 3 के अनुसार अधिसूचना दिनांक से छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के समस्त उपबंध प्रभावशील होंगे :—

1. जांजगीर-चांपा जिले के शिवरीनारायण नगर एवं नगर सीमा से पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र.

2. दुर्ग जिले के बेमेतरा नगर पालिका एवं नगर पालिका सीमा से पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र.

3. रायगढ़ जिले के खरसिया नगर पालिका एवं नगर पालिका सीमा से पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र.

4. रायगढ़ ज़िले के सारंगढ़ नगर एवं नगर सीमा से पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र.

5. जशपुर जिले के पत्थलगांव नगर एवं नगर सीमा से पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र.

6. बस्तर जिले के कोण्डागांव नगर पालिका सीमा एवं नगर पालिका सीमा से पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

पशुधन विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जून 2010

क्रमांक एफ 1-24/09/35/स्था.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) पशु चिकित्सा सेवा में भरती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—**

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) पशु चिकित्सा सेवा भर्ती नियम, 2009 कहलायेंगे.

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.—** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जिसे शासन द्वारा सेवा या पद हेतु नियुक्ति करने के लिये नामांकित किया जाये,

(ख) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची-चार के कालम (5) में गठित यथाविनिर्दिष्ट विभागीय चयन/पदोन्नति समिति,

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अंतर्गत सेवा में भरती के लिये ली गई प्रतियोगिता परीक्षा,

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार,

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल,

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची,

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति,

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद-342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति,

(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग,

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) पशु चिकित्सा सेवा,

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.—** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.—** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलत: धारण कर रहे हों.

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.—** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी.

परंतु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर, स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका.—**

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भरती, निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा या चयन से सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) सेवा के सदस्यों, कि पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची-चार के कालम (2) में दर्शित है,

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मौलिक हैसियत से धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये.

(2) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथा-विनिर्दिष्ट कर्त्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये, भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भरती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से निश्चित की जावेगी.

(4) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भरती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जो वह इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे.

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए मेरिट के आधार पर चयन के लिए शासन द्वारा मापदण्ड निर्धारित किये जायेंगे, तथापि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति गठित किया जाना चाहिये, जो इन मापदंडों के अलावा अन्य युक्ति संगत मापदंड शासन की सहमति से अपना सकेगा.

(6) भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेंगे.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**— परीक्षा में प्रतियोगिता/चयन हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :—

(एक) आयु.—

(क) परीक्षा/चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची-तीन के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक की छूट दी जायेगी.

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों की भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक की छूट दी जायेगी.

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जावेगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(दो) कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में नियोजित व्यक्तियों सहित, ऐसे अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहे हों तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "छटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक हैं, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छ: मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(चार) ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छ: मास तक की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें—
(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,
(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक,

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं),

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छ: माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवोन्मुक्त किया गया हो,

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है,

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो.

(ङ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों को भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम दो वर्ष तक की छूट दी जायेगी.

(च) जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छ) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर एवं महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी.

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध उनके द्वारा इस प्रकार पूर्ण की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी स्थिति में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे.

टीप — (1) उपरोक्त खण्ड (घ) (एक) एवं (घ) (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया जाता हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी कर दी जाती हो तो वे पात्र बने रहेंगे.

टीप — (2) किसी भी अन्य मामलें में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यार्थियों को परीक्षा/चयन के लिये उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी.

(ञ) उच्चतर आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे.

(ट) किसी भी मामले में उपरोक्तानुसार किसी एक या एक से अधिक आधार पर आयु में छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत भी शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिये अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(2) **शैक्षणिक अर्हतायें.**— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निर्धारित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिये जैसा कि अनुसूची-तीन में दर्शाई गयी हैं.

(3) **फीस.**— अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता.**— अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये उसे निरर्हित माना जा सकेगा.

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**— चयन के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थिति होने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.**—

(1) **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती**—नियुक्ति प्राधिकारी, एक चयन समिति गठन करेगा, जिसमें तीन सदस्य होंगे.

(एक) सेवा में भरती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जावेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, सरकार के परामर्श से समय-समय पर निर्धारित करें.

(दो) परीक्षा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ली जायेगी.

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती**-

(एक) सेवा में सीधी भरती के लिये चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित करें.

(दो) अभ्यार्थियों का चयन उनके साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जावेगा.

(तीन) चयन समिति समुचित समय अंतरालों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित की जावेगी.

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिये उसी क्रम विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप-नियम (3) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित ज़ातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे.

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये अनुभव की कुछ कालावधि आवश्यक शर्त के रूप में विहित की गई है और सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा.

(8) विकलांग अभ्यर्थियों के लिये सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार आरक्षण रहेगा.

12. **समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.—**

(1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन-समिति द्वारा अवधारित किया जाये, गुणागुण (मेरिट) क्रम में व्यवस्थित एक सूची तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया हो, तैयार करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए तब तक कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

13. **परिवीक्षा.—** सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :—**

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी. जिसमें अनुसूची-चार के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट सदस्य होंगे.

परन्तु इस उप-नियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा.

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी जो साधारणत: एक वर्ष से अधिक की न हो.

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पंदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार पदोन्नति की जायेगी.

(4) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र की सीमाओं को विस्तार) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण किया जायेगा.

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.—**

(1) समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-चार के कॉलम (4) में उल्लिखित पद/सेवा में या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों पर (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) जैसा कि अनुसूची-चार के कालम (2) में दर्शित सेवा की कालावधि पूर्ण कर ली हो.

स्पष्टीकरण .— पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति.—

(1) संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं.

(2) पदोन्नति के संबंध में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंध लागू होंगे.

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.—**

(1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो. यह सूची, सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी.

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों अनुसार उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार की जायेगी.

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक चयन सूची की तैयारी के समय, चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा या पंदों में वरिष्ठता के क्रम से रखे जावेंगे.

स्पष्टीकरण :— ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया जाता हो किन्तु जिसे सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया जाता हो, केवल उनके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा.

17. **चयन सूची.—**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(2) चयन सूची, सामान्यत: इसके तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी.

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि समिति उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा.

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—**

(1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा-संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में सूची में आये उनके नाम के क्रम के अनुसार की जावेगी.

(2) साधारणत: उस व्यक्ति का, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व चयन समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख की बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाय, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो.

19. **परिवीक्षा.**— सेवा में सीधी भर्ती या पदोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.

20. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा.

21. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उसे न्यायसंगत और उचित प्रतीत हो सीमित या कम करती है.

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

22. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

23. **निरसन और व्यावृत्ति.**— इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा, निरसित किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम-5 देखिये)

पशु चिकित्सा सेवा तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या			वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये में)				टिप्पणी
		स्थायी	अस्थायी	योग		पद/ग्रेड	वेतन बैंड	वेतनबैंड में वेतन	ग्रेड वेतन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	अधीक्षक	04	-	04	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	एस-8	2	9300-34800	4300	
2.	सहायक ग्रेड-1	25	-	25	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	एस-6	1	5200-20200	2800	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	01	–	01	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	एस-8	2	9300-34800	4300	
4.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	06	–	06	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	एस-6	1	5200-20200	2800	
5.	सहायक ग्रेड-2	106	–	106	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	एस-5	1	5200-20200	2400	
6.	स्टेनोटायपिस्ट	09	–	09	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	एस-4	1	5200-20200	1900	
7.	सहायक ग्रेड-3	127	–	127	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	एस-4	1	5200-20200	1900	
8.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	01	–	01	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	एस-4	1	5200-20200	1900	

अनुसूची-दो

(नियम-6 देखिये)

स. क्र.	पदों के नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भरती द्वारा	सेवा के सदस्य की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवा के सदस्य की स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अधीक्षक	04	–	100 प्रतिशत	–	–
2.	सहायक ग्रेड-1	25	–	100 प्रतिशत	–	–
3.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	01	–	100 प्रतिशत	–	–
4.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	06	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	–	–
5.	सहायक ग्रेड-2	106	–	100 प्रतिशत	–	–
6.	स्टेनोटायपिस्ट	09	100 प्रतिशत	–	–	–
7.	सहायक ग्रेड-3	127	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	–	–
8.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	01	100 प्रतिशत	–	–	–

अनुसूची-तीन
(नियम-8 देखिये)

स. क्र.	विभाग का नाम	पदनाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	नियुक्ति प्राधिकारी	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पशु चिकित्सा सेवा एवं पशुधन विकास विभाग	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	18 वर्ष	35 वर्ष	संचालक पशु चिकित्सा सेवायें	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्व-विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् से (क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिये क्रमश: 100 शब्द तथा 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा तथा. (ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखन के लिये क्रमश: 100 शब्द तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा तथा. (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिये ऊपर खंड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अंग्रेजी तथा हिन्दी शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का प्रमाण पत्र धारण करता हो.
2.		स्टेनोटायपिस्ट	18 वर्ष	35 वर्ष	संचालक/अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें.	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्व-विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से 25 शब्द प्रतिमिनट हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही हिन्दी शीघ्र-लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति. 3. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी डाटा एन्ट्री का 5000 की 'डिप्रेशन' प्रति घंटे की गति होनी चाहिये.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.		सहायक ग्रेड-3	18 वर्ष	35 वर्ष	संचालक/अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें.	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्व-विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण. 3. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा आपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी डाटा एन्ट्री का 5000 की 'डिप्रेशन' प्रति घंटे की गति होनी चाहिये.
4.		डाटा एन्ट्री आपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	संचालक/अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें.	1. कक्षा 12वीं (10+2) बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण. 2. डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की (की) 'डिप्रेशन' प्रति घंटा की गति.

अनुसूची-चार

(नियम-14 देखिये)

स. क्र.	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पात्रता अवधि	उस सेवा या पद का नाम जिसमें पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक ग्रेड-1	05 वर्ष	अधीक्षक	1. संचालक पशु चिकित्सा सेवायें—अध्यक्ष (छ. ग.) 2. अपर/संयुक्त/उप संचालक पशु—सदस्य चिकित्सा सेवायें संचालनालय (प्रभारी स्थापना) 3. संयुक्त/उप संचालक पशु —सदस्य चिकित्सा सेवायें (संबंधित जिला प्रभारी)	इन पदों पर चयन, राज्य स्तर की वरिष्ठता के आधार पर की जायेगी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	सहायक ग्रेड-2	05 वर्ष	सहायक ग्रेड-1	1. संचालक पशु चिकित्सा सेवायें (छ. ग.) —अध्यक्ष 2. अपर/संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें संचालनालय (प्रभारी स्थापना) —सदस्य 3. संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें (संबंधित जिला प्रभारी) —सदस्य	इन पदों पर चयन पृथक तौर पर निम्नलिखित रीति से वरिष्ठता संधारित की जावेगी. (i.) संचालनालय स्तर में— संचालनालय के पदों के लिये. (ii) संभागीय स्तर में- जिला तथा संभाग में स्थापित मैदानो स्तर कार्यालयों के पदों के लिये..
3.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	05 वर्ष	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	1. संचालक पशु चिकित्सा सेवायें (छ. ग.) —अध्यक्ष 2. अपर/संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें संचालनालय (प्रभारी स्थापना) —सदस्य 3. संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें (संबंधित जिला प्रभारी) —सदस्य	इन पदों पर चयन, राज्य स्तर की वरिष्ठता के आधार पर की जायेगी.
4.	स्टेनोटायपिस्ट	05 वर्ष	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	1. संचालक पशु चिकित्सा सेवायें (छ. ग.) —अध्यक्ष 2. अपर/संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें संचालनालय (प्रभारी स्थापना) —सदस्य 3. संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें (संबंधित ज़िला प्रभारी) —सदस्य	इन पदों पर चयन, राज्य स्तर की वरिष्ठता के आधार पर की जायेगी.
5.	सहायक ग्रेड-3	05 वर्ष	सहायक ग्रेड-2	1. संचालक पशु चिकित्सा सेवायें (छ. ग.) —अध्यक्ष 2. अपर/संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें संचालनालय (प्रभारी स्थापना) —सदस्य 3. संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें (संबंधित जिला प्रभारी) —सदस्य	इन पदों पर चयन पृथक तौर पर निम्नलिखित रीति से वरिष्ठता संधारित की जावेगी. (i) संचालनालय स्तर में— संचालनालय के पदों के लिये. (ii) संभागीय स्तर में- जिला तथा संभाग में स्थापित मैदानी स्तर कार्यालयों के पदों के लिये.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	चतुर्थ श्रेणी (नियमित स्थापना के कर्मचारी)	05 वर्ष	सहायक ग्रेड-3	1. अपर/संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें संचालनालय. — अध्यक्ष उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें संचालनालय. — सदस्य उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें संचालनालय अथवा वरिष्ठतम पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ संचालनालय. — सदस्य 2. संबंधित जिला संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें. — अध्यक्ष संबंधित जिला संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें द्वारा नामांकित जिला मुख्यालय का वरिष्ठ अधिकारी. — सदस्य संबंधित जिले का वरिष्ठतम पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ. — सदस्य	इन पदों पर चयन पृथक तौर पर निम्नलिखित रीति से वरिष्ठता संधारित की जावेगी. (i) संचालनालय स्तर में— संचालनालय के पदों के लिये. (ii) संभागीय स्तर में- जिला तथा संभाग में स्थापित मैदानी स्तर कार्यालयों के पदों के लिये.

Raipur, the 28th June 2010

No. F 1-24/09/35/Esstt.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules, relating to the Recruitment to the Chhattisgarh Class-III (Ministerial) Veterinary Service, namely :—

RULE

1. **Short title and commencement.—**
   (1) These rules may be called the Chhattisgarh Class-III (Ministerial) Veterinary Service Recruitment Rules, 2009;

   (2) These rule shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires :—
   (a) "Appointing Authority" in respect of the service means such authority nominated by the Government to make appointment to the services or posts;

   (b) "Selection Committee" means the departmental selection/promotion committee constituted as specified in column (5) of Schedule-IV;

   (c) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service held under rule 11 of these rules;

   (d) "Government" means the Government of Chhattisgarh ;

   (e) "Governor" means Governor of Chhattisgarh ;

   (f) "Schedule" means the schedule appended to these Rules ;

(g) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article-341 of the Constitution of India ;

(h) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article-342 of the Constitution of India ;

(i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26-12-84 as amended from time to time ;

(j) "Service" means the Chhattisgarh Veterinary Class-III (Ministerial) Service;

(k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application.**— Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service .**—The Service shall consist of the following persons, namely :—

(1) Persons who at the time of commencement of these rules are holding substantively the posts specified in the Schedule-I ;

(2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules ; and

(3) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay, etc.**—The classification of the Service, and number of posts included in the Service in the service and the scale of pay attached thereto shall be as specified in the Schedule-I :

Provided that the Government may, from time to time add, to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.**—

(1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :—

(a) By direct recruitment, by Competitive Examination or by Selection;

(b) By promotion of members of the Service as shown in column (2) of Schedule-IV;

(c) By transfer/deputation of persons, who hold substantive capacity of such posts in such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of the duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require the Appointing Authority may, with prior concurrence of the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the Service other than those specified in said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) Criteria for Selection on merit basis for filling the post by direct recruitment shall be fixed by the Government. However, Appointing Authority should set up a selection committee which can adopt other reasonable criteria instead of these criteria with the consent of Government.

(6) At the time of recruitment the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994, and the directions issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable.

7. **Appointment to the Service.—** All appointments to the Service after the commencement of these Rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.—**In order to be eligible to compete at the examination/ selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :—

(1) **Age :—**

(a) The Candidate must have attained the age as specified in column (4) of Schedule-III, and must not have attained the age as specified in column (5) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination/selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 (Five) years, if a candidate belongs to a Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 (Ten) years to a women candidate, in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (special provisions for appointment of women) Rule, 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below :—

(i) A candidate who is a permanent or temporary Government Servant of Chhattisgarh should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate, holding a temporary post, including work charged employees, person getting pay from contingency and person employed in Project Implementation Committee, applies for any other post should not be more than 38 years of age.

(iii) A candidate who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary services previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation –The term "Retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(iv) A candidate, who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.— The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment

not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service :—

(1) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) completion of short-term engagement.

(b) fulfilling the condition of enrollment.

(3) Ex- personnel of Madras Civil Unit;

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers);

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies ;

(6) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers ;

(7) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

(8) Ex-servicemen invalidated out of service.

(e) The upper age limit shall also be relaxable up to a maximum two years for those candidates who are holding green card under the Family Welfare Programme.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-Caste Marriage Incentive programme of the Trible, Scheduled Caste and Backward Classes welfare Department.

(g) The upper age limit shall also be relaxable upto five years in respect of the Shaheed Rajiv Pande Award, Gundadhur and Maha Raja Praveer Chand Banjdeo Awards holder candidates and National Youth Award holder young candidates.

(h) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years of age in respect of candidates who are employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards.

(i) The general upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and non-commissioned officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years and the instruction issued from time to time by General Administrative Department regarding age limit will be applicable.

Note : (1) Candidates, who are admitted to the examination/selection under the concessions mentioned in clause (d) (i) and (d) (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after examination/selection. They will, however continue to be eligible, if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case will these age limit be relaxed, Departmental candidates must obtain previous permission of their appointing authority to appear for the examination/selection.

(j) In respect to upper age limit, the instruction issued from time to time by General Administration Department will also be applicable.

(k) In any case the maximum age to get eligible for Government job shall not exceed 45 years, irrespective of age relaxation under one or more then one category mentioned above.

(2) **Educational Qualifications.**—The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(3) **Fee.**— The Candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.**— Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination/selection.

10. **Appointing authority's decision about the eligibility of candidates shall be final.**— The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the examination/interview.

11. **Direct Recruitment by Competitive Examination/Selections.**—

(1) **Direct Recruitment by Competitive Examination**—Appointing Authority will constitute a selection committee comprising of three members.

(i) The Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such interval as the Appointing Authority may in consultation with Government, from time to time, determine;

(ii) The examination shall be held by the Appointing Authority in accordance with such orders issued by the Government from time to time.

(2) **Direct Recruitment by Selections**—

(i) The selection for direct recruitment to the service will be held at such time intervals as determined by the Appointing Authority;

(ii) Selection of candidates will be done by the Selection Committee based on interview;

(iii) Selection Committee will be constituted by the Appointing Authority at appropriate time intervals.

(3) There shall be reserved post for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) ; and order issue by the State Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Committee to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be under sub-rule (3).

(6) 30% posts shall be reserved for women candidates, in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the post to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Competent Authority that there is a possibility, that the candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes

and Other Backward Classes may not be available in sufficient number, the Competent Authority may relax the condition of experience in respect of the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8). Reservation for handicapped candidates shall be in accordance with the direction of the General Administration Department.

12. **List of candidates recommended by the Committee.—**

(1) The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards, as determined by the Selection Committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who, though not qualified by that standard, but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidates is suitable in all respects for appointment to the service.

13. **Probation.—** Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

14. **Appointment by Promotion.—**

(1) There shall be constituted a committee consisting of the members specified in column (5) of Schedule-IV for making Preliminary selection for promotion of eligible candidates.

Provided that for the purpose of the consitution of the Committee under this sub-rule the provisions of section 8 of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be adhered to.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Promotion shall be as per the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(4) Reservation in promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil Services (Reservation in promotion and limits on the extent of zone of consideration) Rules, 2003.

15. **Conditions of eligibility for promotion.—** The Committee shall consider the cases of all persons, who on the 1st day of January of that year, have completed the period of service shown in column (2) of Schedule-IV (whether officiating or substantive) in the post/service mentioned in Column (4) of Schedule-IV or any other post or posts declare equivalent thereto by the Government.

Explanation:—

(1) **Manner of computation for eligibility for promotion** — The calculation of Period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) In the matter of promotion, the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 shall be applicable.

16. **Preparation of list of suitable Candidate.—**

(1) The Committee shall prepare a list of such person as satisfy the condition prescribed in Rule-15 above and as held by the Committee to be suitable for promotion to the service. This list shall be sufficient to cover anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of period of one year from the date of preparation of the list.

(2) The list of suitable officers shall be prepared according to the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules. 2003.

(3) As per the provisions of Chhattisgarh Civil Services (General Condition of Services) Rules. 1961 the name of person included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts specified in column 2 of Schedule-4 at the time of preparation of each select list.

Explanation—The person whose name is included in select list but who is not promoted during the validity of list, shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

17. **Select list.—**

(1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be the Select List for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts as specified in column (4) of the said Schedule.

(2) The select list shall ordinarily be in force for that period of one year from the date of its preparation.

Provided that, in the event of a grave lapse, in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the Select List, a special review of the Select List may be made at the instance of the Government may, if it thinks fit, remove the name of such person from the Select List.

18. **Appointment to the Service from the Select List.—**

(1) Appointment of the employees included in the Select List shall be made to the posts of service cadre according to serial order of their name listed in The Chhattisgarh Lok Sewa (Padonnatti) Niyam. 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the Select List to the Service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the Select List and the date of his proposed appointment. there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to service.

19. **Probation.—** Every person recruited directly or by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. **Interpretation.—** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

21. **Relaxation.—** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt with in any manner, less favourable to him, than that provided in these rules.

22. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation, relexation and other condition required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the rules made or orders issued by State Government from time to time, in the regard.

23. **Repeal and saving.**— All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YACUB KHESS, Deputy Secretary.

SCHEDULE-I
(See Rule-5)

Classfication of Vety. Services Class III (Ministerial) Service, Pay Scale and Number of Post included in the Service.

S. No.	Name of the posts included in the Service	Number of Total post			Classi-fication	Scale of Pay				Remarks
		Per.	Temp.	Total		Post/ Grade	Name of the Revised Pay Band	Pay Band	Grade Pay	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Superintendent	04	-	04	Class III (Ministerial)	S-8	Pay Band-2	9300-34800	4300	-
2.	Assistant Gr.-1	25	-	25	Class III (Ministerial)	S-6	Pay Band-1	5200-20200	2800	-
3.	Steno Grapher Gr.-2	01	-	01	Class III (Ministerial)	S-8	Pay Band-2	9300-34800	4300	-
4.	Steno Grapher Gr.-3	06	-	06	Class III (Ministerial)	S-6	Pay Band-1	5200-20200	2800	-
5.	Assistant Gr.-2	106	-	106	Class III (Ministerial)	S-5	Pay Band-1	5200-20200	2400	-
6.	Stenotypist	09	-	09	Class III (Ministerial)	S-4	Pay Band-1	5200-20200	1900	-
7.	Assistant Gr.-3	127	-	127	Class III (Ministerial)	S-4	Pay Band-1	5200-20200	1900	-
8.	Data Entry Operator	01	-	01	Class III (Ministerial)	S-4	Pay Band-1	5200-20200	1900	-

SCHEDULE-II
(See Rule-6)

S. No.	Name of the posts	Number of Post	Percentage of the Number of Posts to be filled			Remarks
			By direct recruitment	By Promotion of Member of Service	By transfer of Member of other service	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Superintendent	04	-	100%	-	-
2.	Assistant Gr.-1	25	-	100%	-	-
3.	Steno Grapher Gr.-2	01	-	100%	-	-
4.	Steno Grapher Gr.-3	06	50%	50%	-	-
5.	Assistant Gr.-2	106	-	100%	-	-
6.	Stenotypist	09	100%	-	-	-
7.	Assistant Gr.-3	127	75%	25%	-	-
8.	Data Entry Operator	01	100%	-	-	-

SCHEDULE-III
(See Rule-8)

S. No.	Name of Depart-ment	Name of Post	Minimum age limit	Upper age limit	Appointing Authority	Prescribed Educational qualifications
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Veterinary Services & Live-stock Development Department	Steno Grapher Gr. 3	18 Years	35 Years	Director of Vety. Services.	1. Must have passed Higher Secondary Examination or (10+2) or First year of graduation course from any recognized Board/University. 2. Must have passed from any recognized Board/Institute or Council of Short Hand and Typing. (a) For Hindi Short Hand with speed of 100 words and 25 words per minute respectively Short Hand Typing Examination, and (b) For English Short Hand with speed of 100 words and 30 words per minute respectively English Short Hand Typing Examination, and (c) For Bilingual Short Hand must posses Hindi and English Short Hand and Typing Examination passed certificate as above (a) and (b).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.		Stenotypist	18 Years	35 Years	Director/Additional Director/Joint/ Deputy Director of Vety. Services.	1. Must have passed Higher Secondary Examination or (10+2) or First year of graduation course from any recognized Board/University. 2. Must have passed from any recognized Board/Institute with speed of 25 words per minute Typing Examination and also Hindi Short Hand with 60 words per minute speed. 3. Must have one year diploma/ certificate in data operator/ programming from recognized Institute and have Hindi/ English data Entry speed of 5,000 depression per hour.
3.		Assistant Gr.-3	18 Years	35 Years	Director/Additional Director/Joint/ Deputy Director of Vety. Services.	1. Must have passed Higher Secondary Examination or (10+2) or First year of graduation course from any recognized Board/University. 2. Must have passed Typing Examination from any recognized Board/Institute with speed of 25 words per minute. 3. Must have one year diploma/ certificate in data operator/ programming from recognized Institute and have Hindi/ English data Entry speed of 5,000 depression per hour.
4.		Data Entry Operator	18 Years	35 Years	Director/Additional Director/Joint/ Deputy Director of Vety. Services.	1. Must have passed Higher Secondary Examination or (10+2) or 10th with three years diploma course certificate in any subject.. 2. Must have one year diploma certificate in data Entry operator/programming by any one of recognized Institute with the speed of 8000 key depression per hour in computer.

SCHEDULE-IV
(See Rule-14)

S. No.	Name of Service or Post from which promotion is to be made	Eligibility Period	Name of Service or Post to which promotion is to be made	Member of the Department Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Gr.-1	05 Years	Superintendent	1. Director of Vety. Services (C. G.) — Chairman 2. Add./Joint/Deputy Director of Vety. Services Directorate (I/c Esstt.). — Member 3. Joint/Deputy Director of Vety. Services (I/c Concern Distt.) — Member	The Selection on these posts will be held on the basis of state level seniority.
2.	Assistant Gr.-2	05 Years	Assistant Gr.-1	1. Director of Vety. Services (C. G.) — Chairman 2. Add./Joint/Deputy Director of Vety. Services Directorate (I/c Esstt.). — Member 3. Joint/Deputy Director of Vety. Services (I/c Concern Distt.) — Member	The Selection on these posts the seniority will be maintained separately in the following manner- (i) At Directorate level- For the posts of Directorate. (ii) At Divisional level- For the posts of Distt. & Field level offices established in Division.
3.	Steno Grapher Gr.-3	05 Years	Steno Grapher Gr.-2	1. Director of Vety. Services (C. G.) — Chairman 2. Add./Joint/Deputy Director of Vety. Services Directorate (I/c Esstt.). — Member 3. Joint/Deputy Director of Vety. Services (I/c Cencern Distt.) — Member	The Selection on these posts will be held on the basis of state level seniority.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Stenotypist	05 Years	Steno Grapher Gr.-3	1. Director of Vety. Services (C. G.) — Chairman 2. Add./Joint/Deputy Director of Vety. Services Directorate (I/c Esstt.). — Member 3. Joint/Deputy Director of Vety. Services (I/c Concern Distt.) — Member	The Selection on these posts will be held on the basis of state level seniority.
5.	Assistant Gr.-3	05 Years	Assistant Gr.-2	1. Director of Vety. Services (C. G.) — Chairman 2. Add./Joint/Deputy Director of Vety. Services Directorate (I/c Esstt.). — Member 3. Joint/Deputy Director of Vety. Services (I/c Concern Distt.) — Member	The Selection on these posts the seniority will be maintained separately in the following manner- (i) At Directorate level- For the posts of Directorate. (ii) At Divisional level- For the posts of Distt. & Field level offices Established in Division.
6.	Class IV (Regular Esstt.)	05 Years	Assistant Gr.-3	1. Add./Joint Director of Vety. Services Directorate. — Chairman Dy. Director of Vety. Services Directorate. — Member D.D.V.S. or Senior most V.A.S. Directorate. — Member 2. Concerning Distt. Joint/Dy. Director of Vety. Services. — Chairman Senior most officer of Distt. Head Quarter Nomination by the Concerning Distt. Joint/Dy. Director of Vety. Services. — member Senior most V.A.S. of Concerning Distt. — Member	The Selection on these posts the seniority will be maintained separately in the following manner- (i) At Directorate level- For the posts of Directorate. (ii) At Distt. level- For the posts of Distt. & Field level offices Established in Distt.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्रमांक/22/अ.वि.अ./भू-अर्जन/4 अ/82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	पिथौरा	बिजेपुर प. ह. नं. 46	2.67	कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 1, पेंशन बाड़ा, रायपुर.	प्रस्तावित जोंक पुल एवं सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 6 सितम्बर 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/09/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	बाकेल	0.112	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बाकेल माइनर नहर क्रमांक 2 के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 6 सितम्बर 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/10/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	बेसोली	1.002	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत भानपुरी माइनर नहर क्रमांक 3 के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2010

क्रमांक 3/अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लैखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	अंधियारखोह	4.056	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	सेमरहा जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2010

क्रमांक 7/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा. इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	गांगपुर	7.521	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	गांगपुर जलाशय की मुख्य एवं माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 जुलाई 2010

क्रमांक 1/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	अंधियारखोह	0.437	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	सेमरहा जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बिलासपुर, दिनांक 26 अगस्त 2010

प्रकरण क्र. /भू-अर्जन/10/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के सहपठित धारा 17 उपबन्धों के अनुसार अर्जेंसी क्लाज् में लेते हुए इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	नवागांव प. ह. नं. 7	0.966	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन योजना, मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 26 अगस्त 2010

क्रमांक/23/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/3 अ/82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-पिथौरा
- (ग) नगर/ग्राम-परसवानी, प. ह. नं. 44
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.96 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5	0.14
6	0.34
7	0.02
8	0.01
10	0.04
21/1	0.02
21/2	0.01
21/3	0.01
23	0.02
24	0.03
40	0.01
41/1	0.05
41/2	0.06
62	0.01
59	0.08
72	0.01
73	0.02
76/3	0.01
74	0.03

	(1)	(2)
	27	0.01
	142	0.01
	143	0.02
योग	22	0.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- लोवर जोंक बैराज योजना पहुंच मार्ग एवं बंड लाईन निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 7 जून 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-दुलदुला
- (ग) नगर/ग्राम-रायडीह, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.995 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	161	0.012
	101/2	0.032
	159/1	0.089
	162	0.032
	100/2	0.081
	159/2	0.089
	155/1	0.296
	159/3	0.113
	77	0.251
योग	9	0.995

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - रायडीह व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर चैन क्र. 0 से 35 तक के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 30 जुलाई 2010

क्रमांक 26/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची.

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-गुम्माटोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.69 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
623/1	0.41

	(1)	(2)
	407/2	0.28
	520	0.25
	517	0.09
	413/2	0.28
	403	0.41
	615/1	0.07
	613	0.70
	627	0.22
	411	0.18
	666	0.14
	668/3	0.14
	628/1	0.39
	617/1	0.06
	614	0.46
	524	0.37
	414	0.16
	409/1	0.57
	523/2, 525/2	0.14
	525/1	0.17
	518	0.34
	407/1	0.18
	421	0.34
	616	0.51
	661	0.05
	413/3	0.02
	625	0.17
	632	0.02
	629	0.09
	624	0.48
योग	29	7.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेमरहा जलाशय नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 अगस्त 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मौहापाली, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.324 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
264	0.081
267	0.575
265/1	0.603
269	2.254
268	0.219
265/2	0.004
272/1	0.186
266/3	0.032
270	0.340
271/1	0.130
271/4	0.154
271/3	0.130
272/2	0.174
274	0.219
266/1	0.061

	(1)	(2)
	199/1	0.162
योग	16	5.324

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मौहापाली जलाशय योजना के डूबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 अगस्त 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लाखा, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.930 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	13/9	0.028
	16/1	0.096
	21/5	0.105
	15/3	0.081
	30/3	0.004
	15/2	0.024
	16/2	0.652
	24	0.55
	15/4	0.121
	27	0.246
	23	0.451
	18/1	0.158
	25/6	0.85
	30/2	0.041
	26	0.523
योग	15	3.930

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के डूब से प्रभावित सड़क के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर

सरगुजा, दिनांक 24 अगस्त 2010

क्रमांक/2357/खनिज/2010.—श्री मदन कुमार गोयल को ग्राम भेस्की तहसील राजपुर में ख. क्र. 249/1 रकबा 0.560 हे. क्षेत्र पर खनिज चूना पत्थर उत्खनि पट्टा अवधि 17-09-2003 से 16-09-2008 तक स्वीकृत था, जिसका नवीनीकरण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 747/खनिज/2007 अम्बिकापुर दिनांक 28-04-2007 द्वारा पुन: 05 वर्ष हेतु नवीनीकरण किया गया था. किन्तु आवेदक द्वारा प्रारूप सात में पट्टा विलेख निष्पादित और भारतीय रजिस्ट्रीकरण विलेख का निष्पादन नहीं करने के कारण गौण खनिज नियम 1696 के नियम 26 के तहत प्रतिसंहत

हो गया एवं आदेश दिनांक 25-02-2010 द्वारा स्वीकृत लीज को निरस्त कर दिया गया है. विवरण निम्नानुसार है :—

स. क्र.	ग्राम व तहसील	खनिज का नाम	ख. नं.	रकबा हे. में	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ग्रा. भेस्की तह. राजपुर	चूना पत्थर	249/1	0.560	आवेदक द्वारा प्रारूप सात में पट्टा विलेख निष्पादित और भारतीय रजिस्ट्रीकरण विलेख का निष्पादन नहीं कराने के कारण स्वमेव प्रतिसंहृत हो गया. आदेश दिनांक 25-02-2010 के द्वारा निरस्त किया गया.

उक्त आदेश राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस पश्चात् यह क्षेत्र उत्खनन पट्टा हेतु उपलब्ध हो सकेगा.

कमलप्रीत सिंह,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्रमांक 267/दो-2-3/2000.—श्रीमति अनुराधा खरे, तत्कालीन प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायपुर वर्तमान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 23-07-2010 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2003 से 31-10-2005 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्रमांक 268/दो-2-3/2000.—श्रीमति अनुराधा खरे, तत्कालीन प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायपुर वर्तमान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 23-07-2010 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2005 से 31-10-2007 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्रमांक 269/दो-2-3/2000.—श्रीमति अनुराधा खरे, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 23-07-2010 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.